प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला SIW भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....244.../2022.....दिनांक.....17/6/2022.....

2. (I) अधिनियम ... धारायेंः– 7 पी0सी0 (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी भा.द.स.
(II) अधिनियम .....धारायें .....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....329..... समय 6.15PM.
(ब) अपराध घटित दिनांक मय वार..... **.....दिनांक 09.03.2022 समय 10.00 ए.एम. वार बुधवार एवं दिनांक 22.03.2022 समय 01.00 पी.एम. वार..... मंगलवार .....**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 08.03.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– लिखित

5. घटनास्थल :– राजगढ, जिला– चूरू
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब **उत्तर–पश्चिम दिशा में करीब 260 कि0मी0**
(ब) पता..... नगर पालिका, राजगढ, चूरू।
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नामः– **श्री रजनीश .....**
(ब) पिता/पति का नामः– **श्री राजकुमार**
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....**उम्र 35 साल**.....
(द) राष्ट्रीयताः– **भारतीय**
(य) पासपोर्ट संख्याः– जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसायः–**प्राईवेट कार्य**
(ल) पताः– **वार्ड नम्बर 01, श्रीराम नगर, राजगढ, जिला चूरू।**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1. **श्री मोहम्मद उमर फारूख पुत्र श्री अनवर खान, जाति मुसलमान, उम्र 31 साल, निवासी रहिम बक्श चौक, मौहल्ला नरडियान, वार्ड नम्बर 17, राजगढ, चूरू हाल कनिष्ठ सहायक (संविदाकर्मी), नगर पालिका, राजगढ जिला चूरू**
2. **श्री आसिफ शेख पुत्र श्री मुस्ताक शेख, जाति मुसलमान, उम्र 26 साल, निवासी मौहल्ला नरडियान, वार्ड नम्बर 17, राजगढ, चूरू हाल ड्राफ्टमैन (संविदाकर्मी), नगर पालिका, राजगढ जिला चूरू**

8. परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
रिश्वती राशि निल

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... निल/–

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 08.03.2022 को श्रीमान श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री रजनीश पुत्र श्री राजकुमार, जाति सोनी, निवासी–वार्ड नम्बर 01, श्रीराम नगर, राजगढ, जिला चूरू से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री रजनीश को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आयी तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री रजनीश ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र पर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि " मैने अपनी माता श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री राजकुमार सोनी के नाम से एक कृषि भूमि नगर पालिका राजगढ में पट्टा बनवाया था जो कि पट्टा प्रतिलिपि संलग्न है। मेरा पट्टा कमांक 12 दिनांक 06.10.2021 को जारी हो चुका है अब दिनांक 05.03.2022 को नगर पालिका राजगढ के संविदा कार्मिक श्री उमर फारूक का फोन आया और उसने कहा कि आपके पट्टे की शिकायत हुई है। इस शिकायत की फाईल को दबाने के लिए 7000 सात हजार रूपये लगेगें एवं वह मुझसे 7000 हजार बतौर रिश्वत मांग रहा है एवं इस कार्य अन्य पट्टे के संबंध में 12000 बारह हजार रूपये बतौर रिश्वत पूर्व में मुझसे ले चुका है। मैं श्री उमर फारूक को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुं। श्री उमर फारूक से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं हैं एवं किसी प्रकार का उधार का लेन देन नहीं है। रिपोर्ट करता हुं कि कार्यवाही करें।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु यूनिट के

श्री लक्ष्मीनारायण कानि 258 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया तथा कार्यालय हाजा की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई कर परिवादी को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा श्री लक्ष्मीनारायण कानि 258 को वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर आवश्यक हिदायत कर परिवादी श्री रजनीश व श्री लक्ष्मीनारायण कानि नं. 258 को कार्यालय से रवाना किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलब किये गये। दिनांक 09.03.2022 को श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि मैं और परिवादी दोनों कार्यालय से रवाना होकर रात्रि 10 बजे राजगढ, चुरू पहुंच कर वहीं मुकिम रहे। फिर आज सुबह 10.00 ए.एम. पर मै और परिवादी दोनों कार्यालय नगरपालिका, राजगढ पहुँचे। मैंने परिवादी श्री रजनीश सोनी को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर संदिग्ध आरोपी से वार्ता करने हेतु कार्यालय नगरपालिका में रवाना किया। कुछ देर में परिवादी संदिग्ध आरोपी से वार्ता करने के उपरान्त मेरे पास आया। जिस पर मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द किया। उसके बाद मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने श्री लक्ष्मीनारायण कानि की बातों को ताईद करते हुऐ बताया कि मै नगर पालिका कार्यालय में संदिग्ध के कमरे के अन्दर गया तो संदिग्ध आरोपी मुझे वहां पर मौजूद मिला वहां पर मेरी संदिग्ध आरोपी से मेरे पट्टे के बारे में वार्ता हुई। मेरे और संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है। संदिग्ध आरोपी ने मुझसे मेरे पटटे की शिकायत में कार्यवाही नहीं करने के ऐवज में 7000 रू की रिश्वत तय की थी। मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 07.03.2022 को संदिग्ध आरोपी को 1000रू देने से अब शेष राशि 6000 की रिश्वत राशि की मांग कर अभी रिश्वत राशि देने के लिए कह रहा है। श्री लक्ष्मीनारायण कानि. द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करना पाया गया है। संदिग्ध आरोपी का रिश्वत मांग सत्यापन हो चुका है। चूंकि परिवादी राजगढ चूरू का निवासी है एवं ट्रेप कार्यवाही राजगढ चूरू में की जानी है। अतः परिवादी को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि का इंतजाम कर दिनांक 10.03.2022 को सुबह 10.00 एएम पर राजस्थान होटल, रेल्वे स्टेशन, राजगढ चूरू मे मिलने एवं गोपनीयता बनाये रखते की हिदायत की गई। श्री लक्ष्मीनारायण कानि. को राजगढ चूरू में ही मूकीम रहने एंव डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित स्वयं के पास रखने एवं अन्य आवश्यक हिदायत की। दिनांक 10.03.2022 को समय 07.00 ए. एम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनों को गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति ली जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गऐ। समय 07.15 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक एवं श्री चित्रगुप्त, उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रैप पार्टी मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी वाहनों से रवाना हुये। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को सरकारी वाहन के डेस्क बॉर्ड में पृथक से रखवाई गई। समय 10.50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक एवं श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रैप पार्टी सदस्यों के राजस्थान होटल, रेल्वे स्टेशन, राजगढ, चूरू पहुंचे। समय 11.00 ए. एम. पर परिवादी व श्री लक्ष्मीनारायण कानि राजस्थान होटल, रेल्वे स्टेशन, राजगढ, चूरू में उपस्थित मिले। श्री लक्ष्मीनारायण कानि. से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी के मध्य हुई वार्ता को सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी के पट्टे की शिकायत के संबंध में काम नहीं करने की ऐवज मे रिश्वत मांग करना पाया गया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉडर को मन पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी का गवाहान, ट्रेप पार्टी से परिचय करवाकर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री रजनीश को संदिग्ध आरोपी श्री उमर फारूक, संविदा कर्मी, नगर पालिका, राजगढ, चूरू को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री रजनीश ने अपने पास से 2000–2000 रूपये के तीन भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल राशि 6,000/–रूपये (अक्षरे छः हजार रूपये) निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। नोटों का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 2000–2000 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 6,000/–रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु श्री कल्याण सहाय कानि नं. 383 से सरकारी वाहन के डेस्क बॉर्ड से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री रजनीश की जामा तलाशी गवाह श्री विक्रम सिंह गुर्जर से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 6,000/–रू0 के नोट सीधे ही श्री कल्याण सहाय कानि. से परिवादी श्री रजनीश की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर का दृष्टान्त करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री कल्याण सहाय कानि से सरकारी वाहन के डेस्क बॉर्ड में रखवायी जाकर शेष कार्यवाही की गई। श्री कल्याण सहाय कानि. 383 को राजस्थान होटल, रेल्वे स्टेशन, राजगढ, चूरू में ही रहने की हिदायत कर वही छोडा गया। रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल वॉयस रिकार्डर के संबंध में परिवादी को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 को सुपूर्द कर आवश्यक हिदायत की गई। उक्त की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक एवं उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रैप पार्टी सदस्य स्वतंत्र गवाहान, ट्रैप पार्टी मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी वाहनों से नगरपालिका कार्यालय के लिए रवाना हुई तथा परिवादी एवं श्री लक्ष्मीनारायण कानि0 को उसके निजी वाहन से साथ–साथ चलने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय 12.10 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक एवं उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ट्रैप पार्टी उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा संदिग्ध आरोपी के कार्यालय नगरपालिका, राजगढ, चूरू के पास पहुंचे, जहां मन पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को उक्त कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना किया। समय 12.20 पी.एम. पर श्री लक्ष्मीनाराण कानि. व

परिवादी श्री रजनीश मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री लक्ष्मीनारायण कानि ने मन पुलिस निरीक्षक को बंद डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द करने पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को स्वयं के पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी श्री रजनीश ने मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि मैं और श्री लक्ष्मीनारायण कानि. राजस्थान होटल से रवाना होकर कार्यालय नगर पालिका, राजगढ, चूरू पहुंचे। फिर श्री लक्ष्मीनारायण कानि ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर दे दिया था और मैं संदिग्ध आरोपी को पूर्व मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि देने के लिए कार्यालय नगर पालिका राजगढ गया। संदिग्ध आरोपी मुझे नगर पालिका गेट पर ही मिला गया। मैं आरोपी श्री उमर फारूक से अपनी माता श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री राजकुमार सोनी के नाम से एक कृषि भूमि नगर पालिका राजगढ में पट्टा बनवाया था, पर प्राप्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं करने के ऐवज में रूपये देने की बात की तो आरोपी श्री उमर फारूक ने कहा कि मै रूपये यहां नहीं लूंगा किसी अन्य जगह पर लूंगा और आप मेरे साथ मोटर साईकिल पर बैठो, जिस पर मैनें उसे यही रूपये लेने के लिए कहा। जिस पर आरोपी अपनी मोटर साईकिल से नगरपालिका से चला गया। फिर मैनें डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री लक्ष्मीनारायण कानि को दे दिया था। फिर कानि0 श्री लक्ष्मीनारायण से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछने पर उसने भी परिवादी के तथ्यों की ताईद की। परिवादी को संदिग्ध आरोपी के कार्यालय नगरपालिका, चुरू में वापस आने तथा आरोपी के फोन का इन्तजार करने की हिदायत की गई एवं श्री लक्ष्मीनारायण कानि0 को आरोपी के आने पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर चालूकर देने हेतु सुपुर्द किया एवं स्टॉफ और श्री लक्ष्मीनारायण कानि को आवश्यक हिदायत कर मन पुलिस निरीक्षक एवं जाप्ता नगरपालिका के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम रहे। परिवादी, मन पुलिस निरीक्षक तथा जाप्ता द्वारा काफी इन्तजार के उपरान्त भी आरोपी कार्यालय नगर पालिका में उपस्थित नहीं आया, न हीं संदिग्ध आरोपी ने परिवादी से मोबाईल फोन पर कोई वार्ता की। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री रजनीश के मोबाईल से आरोपी श्री उमर फारूक के मोबाईल पर वार्ता करवाई। आरोपी ने मोबाईल पर रिश्वती राशि लेने से मना कर दिया। आरोपी ने कहा कि मुझे रूपये नहीं चाहिए। फाईल में आपत्ति आ रही है। पैसों से काम नहीं होता। आरोपी श्री उमर फारूख को शक होने, मोबाईल पर हुई वार्तानुसार रिश्वती राशि लेने से मना करने एंव आज आरोपी द्वारा रिश्वती राशि लेने की कोई संभावना नहीं होने के फलस्वरूप परिवादी से संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली फिनोफ्थेलीन पाउडर लगी राशि कुल 6000 रू दोनों गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक द्वारा प्राप्त कर एक लिफाफे में रखकर स्वयं के पास सुरक्षित रखे गये। श्री लक्ष्मीनारायण कानि0 से डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड प्राप्त कर कार्यालय लेपटाप की सहायता से आज परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई वार्ता को सुना गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड में वार्ता होना पाया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड को स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी को आवश्यक काम से राजगढ जाने के लिए कहने पर परिवादी को हिदायत की गई कि जब भी संदिग्ध आरोपी आपसे रिश्वत राशि देने के लिए सम्पर्क करे तो तुरन्त मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराये, परिवादी को अन्य आवश्यक हिदायत कर परिवादी को रूखस्त किया गया। आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि लेने से मना करने एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि लेने की कोई संभावना नहीं होने से मन पुलिस निरीक्षक, उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ व गवाहान के मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामग्री सहित सरकारी वाहनों के राजगढ, चूरू से रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर पहुंची। मन पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर तथा लिफाफे जिसमें फिनोफ्थेलीन पाउडर लगी राशि कुल 6000 रखे हैं, को स्वयं के पास कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 20.03.2022 को समय 8.00 पी.एम. पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिए मोबाईल फोन वार्ता कर अवगत करवाया कि मुझसे श्री उमर फारूख और श्री आसिफ शेख जो नगरपालिका राजगढ में अरबन प्लानर द्वितीय के पद पर कार्यरत है, ने मेरे मोबाईल पर व्हाट्सअप कॉल कर मेरे जमीन के पटटे के संबंध में रिश्वत राशि की पुनः मांग की है। श्री उमर फारूख ने मेरी जमीन के पटटे के संबंध में हुई शिकायत में कार्यवाही नहीं करने के ऐवज में 6000 रू और श्री आसिफ शेख ने मेरी जमीन के पटट्ा वेरिफाई करने के ऐवज में 5000रू रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 21.03.2022 को परिवादी से श्री उमर फारूख द्वारा पुनः रिश्वत मांग और श्री आसिफ शेख द्वारा भी जमीन का पटट्ा वेरिफाई करने के ऐवज में रिश्वत मांग करने पर श्री आसिफ शेख का रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु श्री लक्ष्मीनारायण कानि 258 को उक्त कार्यवाही में पूर्व में काम में लिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सुपुर्द कर आवश्यक निर्देश देकर कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 22.03.2022 को श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल फोन अवगत कराया कि आज सुबह मैं परिवादी श्री रजनीश से मिला फिर मै और परिवादी दोनों कार्यालय नगरपालिका, राजगढ पहुँचे। मैंने परिवादी श्री रजनीश सोनी को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर संदिग्ध आरोपी से वार्ता करने हेतु कार्यालय नगरपालिका में रवाना किया। कुछ देर में परिवादी ने नगरपालिका कार्यालय से बाहर आकर मुझे बताया कि संदिग्ध आरोपीगण मुझे नगरपालिका कार्यालय में मिल गये थे लेकिन दोनों ने मुझे बाहर बात करने के लिए एक–दो घण्टे बाद बुलाया है। जिस पर मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द किया। फिर मैने परिवादी एवं आरोपीगणों की डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो तकनीकी कारणों से उक्त वार्ता रिकार्ड नहीं हो पायी। फिर समय करीबन 1.00 पी.एम. पर परिवादी से संदिग्ध आरोपीगण श्री उमर फारूख और श्री आसिफ शेख नगरपालिका कार्यालय के बाहर एक होटल पर मिले। उससे पूर्व मैंने परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर दे दिया था। परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री उमर फारूख ने पटटे के संबंध में हुई शिकायत में कार्यवाही नहीं करने के ऐवज में 6000 रू और श्री आसिफ शेख ने पटट्ा वेरिफाई करने के ऐवज में 5000रू रिश्वत राशि की मांग की। उक्त वार्ता को परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई। संदिग्ध आरोपीगणों से वार्ता करने के उपरान्त परिवादी ने मेरे पास आकर मुझे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया। फिर मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना तो संदिग्ध आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करना पाया गया है। उसके उपरान्त मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने श्री लक्ष्मीनारायण कानि की बातों को ताईद करते हुऐ बताया संदिग्ध आरोपी श्री उमर फारूख ने पटटे के संबंध में हुई शिकायत में कार्यवाही नहीं करने के ऐवज में 6000 रू और श्री आसिफ शेख ने पटट्ा वेरिफाई करने के ऐवज में 5000रू रिश्वत राशि की मांग की। परिवादी को रिश्वत राशि का इन्तजाम कर मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करने एवं अन्य आवश्यक हिदायत की गई तथा श्री लक्ष्मीनारायण कानि. को

डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित स्वयं के पास रखने एवं ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने की व अन्य आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 23.03.2022 को श्री लक्ष्मीनारायण कानि ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द करते हुए पूर्ण हालात से अवगत कराया। डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी की वार्ता रिकार्ड है, को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया संदिग्ध आरोपीयों द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करना पाया गया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री आसिफ शेख को दी जाने वाली रिश्वत राशि 5000 रू के संबंध में दिनांक 26.03.2022 को परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि आरोपीगणों ने अभी तक रिश्वत के संबंध में कोई सम्पर्क नहीं किया है और ना ही अभी तक मेरे पास आरोपीगणों की दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हो पायी है। आरोपीगणों को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर व आरोपीगणों द्वारा मुझसे सम्पर्क करने पर मैं आपको अवगत करा दूंगा। दिनांक 06.04.2022 को परिवादी श्री रजनीश सोनी ब्यूरो कार्यालय जयपुर में उपस्थित आकर मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि आरोपीगणों ने दिनांक 22.03.2022 के उपरान्त आज तक रिश्वत के संबंध में मुझसे कोई सम्पर्क नही किया है। संदिग्ध आरोपीगणों को मेरे द्वारा उनके विरूद्व एसीबी में शिकायत करने की जानकारी हो गई है। इस कारण आरोपीगण मुझसे रिश्वत की मांग नहीं कर रहे है। एसीबी में शिकायत की जानकारी होने से आरोपीगणों द्वारा भविष्य में भी मुझसे रिश्वत लेने की कोई संभावना नहीं है। जिस पर उक्त कार्यवाही में पूर्व से पाबदशुदा स्वतंत्र गवाहान तलब किया गया। परिवादी श्री रजनीश सोनी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी व आरोपी श्री उमर फारूख, संविदाकर्मी व श्री आसिफ, संविदाकर्मी के मध्य वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.03.2022, 10.3.2022 व 22.03.2022 को हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी। उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता को स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उक्त वार्ता रूपान्तरण में परिवादी द्वारा स्वयं व संदिग्ध आरोपीगणों की आवाज की पहचान की गई। तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडियां मंगवायी जाकर तीनों सीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी–बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की तीन अलग–अलग सीडियां तैयार की जाकर मार्का ''ए'', ''ए–1'' व ''ए–2'' अंकित किया गया। सीडी मार्का ए व ए–1 को पृथक–पृथक सफेद कपड़े की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैलियों पर मार्का–ए व ए–1 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाऐ गऐ तथा सीडी मार्का ए–2 को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्का ''एम'' अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाऐ गऐ । परिवादी ने पूर्व में उसके द्वारा संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली 6000 रू रिश्वती राशि को वापस लौटाने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को 6000 रू वापस परिवादी को लौटाऐ गये। परिवादी एवं आरोपीगणों के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सील्डशुदा आर्टिकल को जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी श्री रजनीश सोनी की कृषि भूमि के पट्टे पर मिली शिकायत को दबाने, कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए श्री उमर फारूख द्वारा 7000 रू की मांग करना परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है जिस सम्बंध में दिनांक 09.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में आरोपी श्री उमर फारूख ने परिवादी के काम करने के लिए 7000 रू की मांग कर 1000रू. पूर्व में प्राप्त करना स्वीकार कर शेष 6000रू की मांग करना स्पष्ट होता है तथा आरोपी श्री आसिफ द्वारा परिवादी से उक्त कृषि भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट सही बनाने के एवज में दिनांक 22.03.2022 को 5000 रूपये की राशि रिश्वत की मांग करना स्पष्ट होता है।

अब तक के समस्त हालातों से आरोपीगण क्रमशः श्री मोहम्मद उमर फारूख पुत्र श्री अनवर खान, जाति मुसलमान, उम्र 31 साल, निवासी रहिम बक्श चौक, मौहल्ला नरडियान, वार्ड नम्बर 17, राजगढ, चूरू, हाल कनिष्ठ सहायक (संविदाकर्मी), नगर पालिका, राजगढ जिला चूरू एवं श्री आसिफ शेख पुत्र श्री मुस्ताक शेख, जाति मुसलमान, उम्र 26 साल, निवासी मौहल्ला नरडियान, वार्ड नम्बर 17, राजगढ, चूरू, हाल ड्राफ्टमैन (संविदाकर्मी), नगर पालिका, राजगढ जिला चूरू ने लोक सेवक के पद पर रहते हुये अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री रजनीश सोनी की कृषि भूमि के पट्टे पर मिली शिकायत को दबाने , कोई कार्यवाही नहीं करने एवं उक्त कृषि भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट सही बनाने के एवज में मांग सत्यापन दिनांक 09.03.2022, 10.3.2022 व 22.03.2022 के अनुसार श्री उमर फारूख एवं श्री आसिफ द्वारा क्रमशः 6000 रूपये व 5000 रूपये की राशि रिश्वत के तौर पर मांग करने का आरोपीगणों का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भा.द.स.के तहत अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री उमर फारूख, संविदाकर्मी, नगर पालिका, राजगढ जिला चूरू एवं श्री आसिफ, संविदाकर्मी, नगर पालिका, राजगढ जिला चूरू के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

(मीना वर्मा)
पुलिस निरीक्षक,
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीना वर्मा, पुलिस निरीक्षक, एस.आई.डब्ल्यू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री मोहम्मद उमर फारूख पुत्र श्री अनवर खान, निवासी रहीम बक्श चौक, मौहल्ला नरडियान, वार्ड नम्बर 17, राजगढ़, चूरू, हाल कनिष्ठ सहायक(संविदाकर्मी), नगर पालिका, राजगढ जिला चुरू एवं 2. आसिफ शेख पुत्र श्री मुस्ताक शेख, निवासी मौहल्ला नरडियान, वार्ड नम्बर 17, राजगढ, चूरू, हाल ड्राफ्टमैन(संविदाकर्मी), नगर पालिका, राजगढ जिला चुरू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 244/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।

17.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2146-50 दिनांक 17.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजगढ जिला चूरू।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।

17.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।